न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 27/2018 जिला–अलवर।
पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल।

मीरसिंह पुत्र श्री छीतर जाति जाट निवासी गादूवास तह0 मुण्डावर जिला अलवर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. शेरसिंह पुत्र सन्तोखी जाति जाट, निवासी गादूवास, तह0 मुण्डावर जिला सीकर।

असल रेस्पोडेंट्

2. हुक्म पुत्र भोलूराम जाति जाट निवासी गादूवास तह0 मुण्डावर जिला अलवर
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर दिनांक 01.05.2018 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री विजय सिंह राठौड।

निर्णय

दिनांक 24.08.2021

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 01.05.2015 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 12.11.2018 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत कराये जाने पत्थरगढी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनकी खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 709 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित है। दिनांक 16.05.2016 को उक्त भूमि की मौके पर पैमाईस हो चुकी है किन्तु अप्रार्थीगण आराजी की डोल को मिसमार कर देते है तथा पडौसी खातेदार से उक्त भूमि को लेकर विवाद रहता है। अतः पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2018 पारित कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 709 वाके ग्राम गादूवास के बाबत मौका परचा पैमाईश दिनांक 16.05.2016 के आधार पर खसरा नम्बर 709 के बाबत पूर्वानुसार पैमाइश कर खसरा नम्बर 710 व 711 तथा 709 के मध्य बिन्दु कायम कर पत्थरगढी कराई जाने हेतु तहसीलदार मुण्डावर को आदेश प्रदान किये गये।
4. न्यायायल उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
5. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट् उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेंट् संख्या 01 अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट् की बहस सुनी गई ।
6. अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट् के पीछे से न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र बावद में पारित किया गया है। जिसकी कोई सूचना अपीलांट् को नही दी गई। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2016 की पैमाइश को मानकर पारित किया गया है जबकि दिनांक 16.05.2016 की जानकारी अपीलांट् को ना तो दी गई और ना ही अपीलांट् के सामने पैमाइश की गई।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

दिनांक 16.05.2016 की पैमाईश पर अपीलांट् के हस्ताक्षर नही है तथा अपीलांट् की गैर मोजूदगी में करवाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलांट् व रेस्पोडेंट् संख्या 01 की बहस का कोई विवेचन नही किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2018 के निर्णय में तहसीलदार मुण्डावर को निर्देशित किया है कि उभयपक्षकारान को सूचित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी की जावे लेकिन तहसीलदार मुण्डावर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की कोई पालना नही की गई। रेस्पोडेंट् संख्या 01 के कथनानुसार अपीलांट् द्वारा खसरा नम्बर 709 की 2 बिस्वा जमीन दबाकर कब्जा करना बताया गया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट् संख्या 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 रफत नही था। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड में यदि रेस्पोडेंट् संख्या 01 ने मौजूदा डोल को मिसमार कर कब्जा कर लिया जो अपीलांट् को अपार हानि होगी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के सहज एव प्राकृतिक नियमो के प्रतीकुल होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन दिनांक 01.05.2018 निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट् ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.05.2018 का है लेकिन अपीलांट् को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी दिनांक 26.10.2018 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट् के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के पत्थरगढी कराने के संबंध मे विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतित होता है कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 के द्वारा अपनी खातेदारी खसरा नम्बर 709 रकबा 0.25 है0 वाके ग्रम गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर की पत्थरगढी कराने बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 709 वाके ग्रम गादूवास के बाबत मौका परचा पैमाईश दिनांक 16.05.2016 के आधार पर खसरा नम्बर 709 के बाबत पूर्वानुसार पैमाइश कर खसरा नम्बर 710 व 711 तथा 709 के मध्य बिन्दु कायम कर पत्थरगढी कराई जाने हेतु तहसीलदार मुण्डावर को आदेश प्रदान किया है।

8. हम समझते हैं कि विवादित भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर के आदेश कमांक भू0अ0/1388 दिनांक 05.05.2018 की पालना में पटवारी हल्का गादूवास के द्वारा खसरा नम्बर 722 की दक्षिणी पश्चिमी मेड को मुस्तकिल बिन्दु मानकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 709 रकबा 0.25 है0 की सीमाज्ञान की जाकर निशान देही दिनांक 16.05.2018 को की गई थी। जिस भूमि का सीमाज्ञान किया गया था वह अपीलान्ट् की खातेदारी भूमि नहीं है। रेस्पोंडेन्ट् संख्या 01 की प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान किया गया था। प्रकरण में पूर्व में रेस्पोंडेन्ट् संख्या 01 की प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान होने के कारण रेस्पोंडेन्ट् संख्या 01 के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2018 पारित कर प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 709 वाके ग्रम गादूवास के बाबत मौका परचा पैमाईश दिनांक 16.05.2016 के आधार पर खसरा नम्बर 709 के बाबत पूर्वानुसार पैमाइश कर खसरा नम्बर 710 व 711 तथा 709 के मध्य बिन्दु कायम कर पत्थरगढी कराई जाने हेतु तहसीलदार मुण्डावर को आदेश प्रदान किये है जो उचित एवं विधिसम्यक है। हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2018 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट् खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

24/8/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/8/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner